राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक–प06(30)राज–6/2000/18 जयपुर दिनांक– 30/9/11

परिपत्र

विभाग के यह ध्यान में लाया गया है कि भूमि आवंटन से संबंधित विभिन्न राजस्व नियमों के तहत आवंटित की गयी भूमि के संबंध में निष्पादित पट्टा विलेख (Leasedeed) का पट्टा धारियों द्वारा पंजीयन नहीं कराया जाता है। जिससे सरकार को पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क के रूप में राजस्व हानि हो रही है। जबकि पट्टा विलेख का पंजीयन कराया जाना भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17(1)(बी) के तहत अनिवार्य है। इसी प्रकार पट्टा विलेखों पर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 21 के तहत मुद्राक शुल्क भी देय है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि राजस्व नियमों के तहत जारी किये जाने वाले आवंटन आदेशों में पट्टा धारियों के लिए इस आशय की शर्त रखी जाये कि निष्पादित पट्टा विलेख का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा एवं पंजीयन नहीं कराने की स्थिति में आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

29/9/11
(मोहन लाल मेहरा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव अध्यक्ष राजस्व मण्डल अजमेर।
3. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
4. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान के प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदारों को सूचित कर परिपत्र की अनुपालना सुनिश्चित करावें।
6. निदेशक, आर0 आर0 टी0 आई0, अजमेर।
7. समस्त शासन उप सचिव, राजस्व विभाग।
8. शासन उप सचिव वित (कर) विभाग शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर को उनकी अ0शा0टीप0क्र0–प02(17)वित्त/कर/2009 दिनांक 19–8–11 के क्रम में।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

o/c

1738